संख्या- 27/निजी सचिव/अपर सचिव/2016-17

प्रेषक,

एस0 राजू,
अपर मुख्य सचिव/वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. **समस्त सम्बन्धित प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,**
उत्तराखण्ड शासन।
2. **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तराखण्ड।

पंचायतीराज अनुभाग–1 दिनांक 24/02/2016

विषयः **डॉ ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना (जी0पी0डी0पी0) से सम्बन्धित प्रशिक्षण एवं कार्ययोजना तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ग्राम पंचायतों के समग्र विकास के दृष्टिगत ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखण्ड सरकार ने इस योजना का नाम डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना रखा है। जिसके अन्तर्गत वर्ष 2016–17 से वर्ष 2019–20 तक के लिए 4 वर्षों का Perspective Plan (संदर्श योजना) एवं प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक योजना (जी0पी0डी0पी0) तैयार की जानी है, जिसके लिए शासन ने पत्र संख्या 395 दिनांक 16.02.2016 के द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

1– योजना में क्षमता विकास एवं वातावरण सृजन के लिए दिनांक 17.02.2016 को राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गयी, जिसमें विभिन्न प्रतिभागियों के अनुरोध पर जिला स्तरीय एवं क्लस्टर के स्तर पर निर्धारित तिथियों में निम्न प्रकार संशोधित तिथियां निर्धारित की गयी हैः–

क्र.स.	प्रशिक्षण की तिथि	प्रस्तावित कार्यक्रम
1	19 फरवरी से 20 फरवरी, 2016	जिला स्तरीय प्रशिक्षण
2	21 फरवरी से 05 मार्च, 2016	क्लस्टर स्तरीय प्रशिक्षण
3	31 मार्च 2016 तक	वातावरण सृजन एवं परिस्थितयों का आकलन
4	31 मई 2016 तक	ग्रा0स0 की बैठकों का आयोजन (पर्सपेक्टिव प्लान, वार्षिक योजना)
5	30 जुन 2016 तक	प्लान प्लस सॉफ्टवेयर में अपलोडिंग कार्य

2– जनपद स्तर पर दिनांक 19 एवं 20, फरवरी, 2016 को लगभग 1240 एवं विकास खण्ड स्तर पर गठित क्लस्टर पर दिनांक 21 फरवरी से 05 मार्च, 2016 तक 796 क्लस्टरों में तकनीकी सहायता समूह के 23801 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाए।

3– योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय सशक्तीकरण समिति की बैठक दिनांक 19.02.2016 में लिए गए निर्णय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि जनपद स्तर के प्रशिक्षणों एवं क्लस्टर स्तर के प्रशिक्षणों में सभी सम्बन्धित रेखीय विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं क्लस्टर स्तर पर ग्राम स्तरीय एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारी/कर्मचारी अवश्य भाग लें, ताकि सभी सम्बन्धित विभागों की सहभागिता हो सके। इस के अतिरिक्त ग्राम सभाओं की खुली बैठकों में भी सम्बन्धित रेखीय विभागों के खण्ड स्तरीय/ग्राम स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे ताकि जी0पी0डी0पी0 में उन विभागों की योजनाओं का समावेश हो सके।

4– सम्बन्धित जिलाधिकारी अपने जनपद के अन्तर्गत यह सुनिश्चित करेंगे कि जिला स्तर पर सभी रेखीय विभागों के जनपद स्तरीय/खण्ड स्तरीय अधिकारी भाग लेंगे तथा क्लस्टर स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों में सम्बन्धित रेखीय विभागों के अधिकारी/कर्मचारी यथा ग्राम्य विकास, मनरेगा, पेयजल एवं स्वच्छता, कृषि, उद्यान, आंगनवाड़ी, आशा कार्यकत्री,शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, जलागम, आईफैड,वन, पशुपालन, आजिविका,आदि अनिवार्य रूप से भाग लें।

5– प्रशिक्षण के उपरान्त ग्राम सभा की खुली बैठकों में भी सभी सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी अवश्यक रूप से भाग लेंगे। इसके लिए ससमय रोस्टर एवं एजेंड़ा तैयार कर लिया जाए तथा सभी सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को बैठकों के रोस्टर एवं एजेंडे से अवगत करा दिया जाय। सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधि अपनी ग्राम सभा की बैठक में अपने विभाग से सम्बन्धित आवश्यक सूचनाओं एवं समस्याओं को लेकर आवश्यक प्रत्यावेदन एवं सुझाव सहित उपस्थित रहेंगे एवं ग्राम पंचायत नियोजन योजना में अपने विभाग की ग्राम योजना का अंश सम्मिलित करवाना सुनिश्चित करेंगे।

6– यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी उपरोक्त प्रशिक्षणों एवं बैठकों में भाग नहीं लेता है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है। साथ ही वार्षिक मूल्यांकन के वक्त इस बात को संज्ञान में लेते हुए उनकी चरित्र प्रवृष्टि में अंकन किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि आप अपने स्तर से अपने विभागीय अधिकारियों को तदानुसार निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें। समस्त जिलाधिकारियों से भी यह अनुरोध है कि वह जनपद स्तर पर समन्वय स्थापित करते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना से सम्बन्धित संपूर्ण प्रक्रिया को सम्पन्न कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0 राजू)
अपर मुख्य सचिव/
वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त

संख्या–   /उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि–
1. निदेशक पंचायतीराज, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(एस0 राजू)
अपर मुख्य सचिव/
वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त